कार्यालय कलेक्टर, जिला टीकमगढ (म0प्र0)

क्रमांक– तीन–ए / वित्त–2 / 2018 / 17 टीकमगढ़ दिनांक 18-1-18

:: निविदा प्रकाशन ::

कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ़ की विभिन्न शाखाओं की फोटो कापी के कार्य वर्ष 17-18 हेतु निम्नानुसार निविदाऐं शर्तों के अधीन आमंत्रित की जाती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1– A-4 साईज जे.के.बाण्ड पेपर पर फोटो कापी एक तरफ

2– A-4 साईज जे.के.बाण्ड पेपर पर फोटो कापी दोनों तरफ

3- A-3 साईज जे.के.बाण्ड पेपर पर फोटो कापी एक तरफ

4– A-3 साईज जे.के.बाण्ड पेपर पर फोटो कापी दोनों तरफ

अतः आप लोगों के निविदाओं के सीलबंद लिफाफे 03/2/18 को मय नमूना सहित समय दोपहर 2.00 बजे तक कलेक्टर कार्यालय में प्रभारी अधिकारी वित्त शाखा द्वारा प्राप्त किये [illegible] उपरोक्त तिथि एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाली निविदाऐं मान्य नही की जावेगी। निविदा उसी दिन अपर कलेक्टर टीकमगढ एवं प्रभारी अधिकारी वित्त जिला कार्यालय टीकमगढ द्वारा खोली जायेगी, तथा प्राप्त निविदाओं का तुलनात्मक पत्रक तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा।

:: निविदा की शर्ते ::

1. निविदा के साथ रूपये, 2000/– (दो हजार) प्रतिभूति की राशि, किसी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के पक्ष में जारी की गई हो, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जा सकेगा। बिना प्रतिभूति के निविदा मान्य नही की जावेगी।
2. निविदा के साथ फोटो पेपर के नमूने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। नमूना प्राप्त न होने पर निविदा मान्य नही की जावेगी।
3. विक्रेता/फर्म को विक्रयकर विभाग का रजिस्ट्रेशन नम्वर लिखना एवं सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एव आयकर विभाग के पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति प्रस्तुत करना होगी।
4. कलेक्टर कार्यालय टीकमगढ की विभिन्न शाखाओं के प्रभारी लिपिकों द्वारा [illegible] फोटो कापी कार्य करना होगा।
5. निविदा स्वीकृति की दशा में निविदाकार को फोटो कापी कार्य का देयक प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा, एवं प्रभारी लिपिकों से प्राप्त मूल आदेश पर्चियाँ बिल के साथ संलग्न करना होगी, जिसके अनुसार स्वीकृत दर पर भुगतान किया जावेगा।
6. राज्य शासन से बजट आवंटन प्राप्त होने पर ही बिलों का भुगतान किया जावेगा, विलम्ब की दशा में किसी भी प्रकार का व्याज/अर्थदण्ड देय नही होगा, बिल भुगतान न होने का बहाना बनाकर फोटो कापी कार्य करने से मना करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
7. उपरोक्त कार्य की दर स्वीकृत करने के संबंध में जिला कलेक्टर टीकमगढ़ को सर्वाधिकार प्राप्त होगें।

115
22-1-18

अपर कलेक्टर
जिला–टीकमगढ़

पृ0क्रमांक–तीन–ए/वित्त–2/2018/17 टीकमगढ़ दिनांक 18-1-18

प्रतिलिपि.–

1. अपर कलेक्टर/प्रभारी अधिकारी नजारत/वित्त की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
2. सहायक जनसम्पर्क अधिकारी टीकमगढ की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति स्थानीय समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशन कराने का कष्ट करें।
3. डी.आई.ओ. एन.आई.सी. टीकमगढ की ओर भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति डी.एम. टीकमगढ की वेवसाईट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें।
4. जिला कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।
5. तहसील कार्यालय के सूचना पटल पर चस्पा हेतु।

अपर कलेक्टर
जिला–टीकमगढ़